न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/207

1. किशन लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
2. मोहनी बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
3. प्रसन्न बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।

बनाम **–अपीलांटगण**

1. लादूलाल पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
2. कमलेश पुत्र प्रभू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
3. महावीर पुत्र प्रभू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
4. हनुमान पुत्र प्रभू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
5. प्रसन्न बाई पुत्री प्रभू जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
6. हेमराज पुत्र कल्याण जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
7. धन्नालाल पुत्र कल्याण जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
8. मसरी बेवा माधो जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
9. भंवरलाल पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
10. राधेश्याम पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।

11. ब्रजमोहन पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
12. दामोदर पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
13. रामप्रसाद पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
14. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
15. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
16. रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
17. ब्रजराज पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
18. कंचन पुत्री राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
19. गीता पुत्री राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
20. भूमिधारी तहसीलदार तह. नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री मनीष शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री ललित नागर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
(3). श्री महावीर गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 9

निर्णय **दिनांक 28.08.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 146/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बम्बूली तहसील जैनवां जिला पूब्दी में भूमि खसरा संख्या 877 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा स्थित है जो प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि है। जमाबंदी मे प्रभू की मृत्यु दिनांक 06.07.2020 को हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण 2 लगायत 5 है। प्रार्थीगण ने इस वर्ष उडद की फसल बो रखी है। ग्राम बम्बूली तहसील

नैनवाँ जिला बून्दी मे भूमि खसरा संख्या 876 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार कृषक अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 है। । ग्राम बम्बूली तहसील नैनावां जिला बून्दी मे भूमि खसरा संख्या 869 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार कृषक अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 16 है। यह कि ग्राम बम्बूली तहसील जिला बून्दी भूमि संख्या 863 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 864 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार कृषक अप्रार्थीगण संख्या 17 लगायत 19 है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में आवागमन का एक अर्वाचीन कदमी रास्ता (मेरुठा) जो नक्शे मे.....मे (डोट–डोट) के रूप में दर्शाया रखा है, जो नैनवां से बामनगाव जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या 866,869,876 एवं खसरा संख्या 864,863 की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 877 में पहुंचता है यह रास्ता पीढियों से चला आ रहा है जिस पर से होकर हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र लाने के काम मे प्रार्थीगण लेते आ रहे है जिसका सुखाधिकार भी प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है। यह रास्ता 12 फीट चौड़ा है इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "ए" मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट "ए" को भी प्रार्थना पत्र का भाग माना जाये। अप्रार्थीगण लगायत 5 एवं अप्रार्थीगण 17 लगायत 19 के मन मे बदनियति आ गई है इस कारण अप्रार्थीगण गत सप्ताह से रास्ता अवरुद्ध करने लग गये, प्रार्थीगण के आवागमन मे भारी रुकावट डालते है एवं खंभे गाडकर तारबंदी करने लग गये है। प्रार्थीगण मना करते है तो मारपीट करने पर उतारू होते है। प्रार्थीगण बडी मुश्किल से अपने खेत पर पहुंच पा रहे है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण चरण संख्या 9 मे वर्णित एवं परिशिष्ट "ए" मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को रास्ता होना घोषित करवाये रास्ते की चौड़ाई 15 फीट करवाये क्योंकि रास्ता सकड़ा पड़ता है। रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस एवं अन्य भू–राजस्वो में दर्ज करवाये तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थीगण विवादित रास्ते को अवरुद्ध नही करे, खंभे नही गाडे, तारबंदी नही करे एवं प्रार्थीगण के आवागमन के अधिकार एवं सुखाधिकारो मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण यदि रास्ते में अवरोध कारित देते है जये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा अवरोध को हटाकर रास्ता बहाल किया जावे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत मे आवागमन नही करे सकेगे सही उपयोग उपभोग नही कर सकेंगें जिससे प्रार्थीगण को महान एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका नकद रूप मे मूल्यांकन नही हो सकेगा। यह कि रास्ता घोषित करने एवं चौड़ा करने में जितनी भूमि जिस भी खातेदार की है उसका युक्ति युक्त मुआवजा अदा को प्रार्थीगण तैयार है। अन्त में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या मे वर्णित एवं परिशिष्ट "ए" में साल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को 15 फीट प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे पहुंचने का रास्ता घोषित किये जाने तथा तदनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस एवं अन्य भू–राजस्वो मे आवश्यक संशोधन किया जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण लगायत 5 एवं 17 लगायत 19 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित एवं परिशिष्ट "ए" मे वर्णित लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते पर होकर आवागमन करने, हल कुली, बैलगाडी,

ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने, रास्ते के उपयोग उपभोग करने से कोई बा कारित नही करे एवं प्रार्थीगण के रास्ते के सुखाधिकारो मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं ही करे न ही ऐसा किसी अन्य से करवाये। यदि दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण रास्ते में अवरोध कारित कर देते है एवं रास्ता अवरुद्ध कर देते है तो जये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा –अवरोध हटाया जाकर रास्ता पुनः बहाल किया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण द्वारा दिनांक 02.10.2021 को निर्णित किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 877 मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 865 व 862, 864, 863 में कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर की अपीलांटगण अप्रार्थी संख्या 17 से 19 ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की। अपील अपीलांटगण न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5, 6 से 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 16 स्वयं उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट 20 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी में रेस्पों नंबर 1 लगायत 5 द्वारा धारा 251 (ए) आर. टी. ए. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम बम्बूली तह नैनवां जिला बून्दी की भूमि खसरा नंबर 876 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा पर जाने के लिये अर्वाचीन कदीमी रास्ता जो नक्शे में डोट डोट के रूप में दर्शा रखा है, जो नैनवा से बामनगांव जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा नंबर 866, 869, 876 व 864, 863 की मेर पर होता हुआ खसरा नंबर 877 में पहुंचता है, जिसपर से होकर हल, कुली. बेलगाड़ी व अन्य कृषि यंत्र लाने के काम में लेते आ रहे है, जिसे परिशिष्ट ए में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रत्यर्थीगण नंबर 1 लगायत 5 व 17 लगायत 19 प्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध कर चार खम्बे गाडकर तारबंदी करने लग गये. इससे प्रार्थीगण का कृषि पर आना जाना खेती काश्त करना मुश्किल हो गया है यह प्रार्थना पत्र का कारण है। परिशिष्ट ए में प्रदर्शित रास्ते को 15 फीट चौड़ा कर राजस्व नक्शे राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर कायम करवाया जावे। प्रत्यर्थी नंबर 1 लगायत 2 ने जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी नबर 1 व 2 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पुराना रास्ता निरंतर निर्बाध चालू है। प्रत्यर्थीगण 17 से 19 की ओर से जवाब पेश कर खसरा नंबर 863 व 864 की मेर पर होकर रास्ता होना अस्वीकार है वहां रास्ता नही है, वर्षो पुराना डोल लगा हुआ है,

डोल पर रास्ता नहीं हो सकता, डोल के स्थान पर नया रास्ता बनाना चाहते है रास्ता डोल के बाद है। प्रत्यर्थीगण ने धारा 188 आर. टी. एक्ट के अंतर्गत दावा स्थायी निषेधाज्ञा व धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा रखी है, नक्शा परिशिष्ट ब में लाल रंग से मौके की स्थिति दर्शित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा मनमाने रूप से नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये, जिसकी अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय में अपील निम्न कारणो से प्रस्तुत यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके भयंकर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.11.2020 को नोटिस बोर्ड पर दिनांक 17.02.2021 की पेशी की सूचना दी तत्पश्चात दिनांक 17.02:2021 को भी 18.05.2021 नोटिस बोर्ड पर दी। दिनांक 18.05.21 का दिनांक 26. 08.21 नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई दिनांक 28. 08.21 को अपी की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा आगामी पेशी 14:10:21 नियत की गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02 10.21 को ही निर्णय कर दिया, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपी को सुनवाई का अवसर ही नही दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट तहसीलदार नैनवा से मंगाने का आदेश भी अपी की गैर मौजूदगी में दिया तथा तहसीलदार सा. ने मौका भी नही देखा। क्योंकि प्रमाणित प्रति से ज्ञात हुआ कि भू अभिलेख निरीक्षक ने अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट दी है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर नया रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान कर भयंकर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो नंबर 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई रिलीफ से अलग रिलीफ प्रदान करके त्रुटि की है. इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध, मनमाना व क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त होने योगय है। अपीलांट के पक्ष में धारा 212 आर. टी एक्ट के तहत रेस्पो नंबर 1,2 व 7 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख निर्णय में नहीं किया। जबकि इस आधार पर प्रार्थीगण रेस्पो का प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिये था। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. नंबर 1 से 5 के प्रार्थना पत्र को पढ़ने व समझने का ही प्रयास नहीं किया क्योंकि प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में ही स्पष्ट अंकित किया गया है अर्वाचीन कदीमी सरता नक्शे में डॉट डॉट के रूप में दर्शा रखा है. यह रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है, यह रास्ता 12 फीट चौड़ा है. इस रास्ते को प्रस्तुत परिशिष्ट ए में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते को रास्ता होना घोषित करवायें, रास्ते की चौड़ाई 15 फीट करवाये। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी अनदेखा कर दिया कि अपी के कब्जे व खाते के खसरा नंबर 863 व 864 की डोल लगी भूमि के बाद वर्षों पूर्व से निकले हुए रास्ते पर होकर रेस्पो नंबर 1 लगायत 5 निकल रहे है जो रेस्पो नंबर 10 लगायत 13 के खाते की जमीन है. उसके बाद खसरा नंबर 876 की भूमि है, जो रेश्यो नंबर 6 व 7 की है। इस बाबत अपी ने अधिनस्था न्यायालय में नक्शा परिशिष्ट में पेश किया है जिसमें रास्ता चालू

हालत में लाल रंग से दर्शाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने परिशिष्ट क में दर्शित नया रास्ता निकालने का आदेश प्रदान करके त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट्स के खाते की भूमि के बीच में से नया रास्ता निकालने का आदेश दिया गया है। जिससे अपी. की कृषि भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न होवेगी तथा विवाद पैदा होंगें। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की उपस्थिति अंकित करके त्रुटि की है. जबकि पक्षकारान उपस्थित ही नही थे तथा प्रकरण में सभी पक्षकारो की तलबी ही नही हुई थी। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए प्रकरण का बिना सुनवाई के निर्णय कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि रेस्पो / प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नंबर 3 रामरतन व अप्रार्थी नंबर 6 जगदीश मृतको को ही पक्षकार बना दिया, जो कानूनन गलत है। इस अपील में मृतको को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा रेस्पो नंबर 6 लगायत 20 के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाहिये, अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे, इसलिये पक्षकार बनाया गया है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा का निर्णय दिनांक 02.10.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 मे कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होकर कानून सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की जिसकी पालना मे तहसीलदार नैनवां ने विवादित रास्ते की रिपोर्ट विधिवत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित की है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट अपीलांट की मौजूदगी मे तैयार की गई है परन्तु उक्त रास्ते की रिपोर्ट पर अपीलांटगण ने जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं किए। रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 877 पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने का अंकन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की आराजी मे आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता प्रश्नगत आराजी से ही दिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। रास्ते की भूमि में आए अन्य खातेदारों ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। केवल खसरा नम्बर 863 व 864 के खातेदार अपीलांटगण ही आपत्ति कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विधिवत् रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट की ओरे से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पत्रावली बिना उनकी

जानकारी के तथा बिना सूचना के प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में ले जाकर निर्णित की गई। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 26.08.2021 से स्पष्ट है कि सभी अप्रार्थीगण की तलबी नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 6 से 10, 15 की तलबी में थी तथा पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 14.10.2021 नियत की गई थी। परन्तु उससे पूर्व ही पत्रावली दिनांक 02.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में रख दी गई। आदेशिका दिनांक 02.10.2021 पर केवल हस्ताक्षर लादूलाल व एक अन्य हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांटगण अप्रार्थी संख्या 17 से 19 के न तो हस्ताक्षर अंकित है तथा न ही इनकी उपस्थिति अंकित है। दिनांक 02.10.2021 की आदेशिका से स्पष्ट नहीं होता कि कौन–कौन पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में कैम्प कोर्ट में उपस्थित थे। जहॉ तक अपीलांटगण को कैम्प–कोर्ट की सूचना का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 को जारी नोटिस की तामील प्रोपर रूप से नहीं होना प्रतीत होता है। केवल तीनो नोटिस के पृष्ठ भाग पर पुत्र विनोद कुमार अंकित है। अतः यह स्पष्ट है कि सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस की तामील प्रोपर रूप से नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व नियत पेशी दिनांक 14.10.2021 को भी बदलकर पहले ही दिनांक 02.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प–कोर्ट में रखकर निर्णित कर दी गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2021 से यह स्पष्ट नहीं होता कि किन–किन पक्षकारों को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी मौका–रिपोर्ट मंगवाने के सम्बंध में कोई आदेश अंकित नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांटगण मौके पर उपस्थित थे तथा उन्होने जान–बूझकर हस्ताक्षर नहीं किए। परन्तु हमारे मत में मौका रिपोर्ट पर ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है। मौके पर अपीलांटगण प्रत्यर्थी संख्या 17 से 19 की उपस्थिति का कोई अंकन नहीं है। अतः इससे प्रतीत होता है कि मौका–रिपोर्ट तैयार करने की सूचना अपीलांटगण को प्रदान नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में यह स्पष्ट फाइंडिंग देनी चाहिए थी कि कोई वैकल्पिक रास्ता है अथवा नहीं। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से तो सहमत है कि धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में समरी प्रोसिडिंग का प्रावधान है, परन्तु हमारे मत में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। हमारे मत मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण प्रत्यर्थी संख्या 17 से 19 की अनुपस्थिति में उन्हे बिना सुने प्रशासन गावों के संग अभियान में कैम्प–कोर्ट में प्रश्नगत निर्णय दिनांक 02.10.2021 पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.10.2021 को निरस्त किया जाना उचित है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या

146/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 02.10.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 व 70 के प्रकाश में विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा